

पृथ्वी नाथ राम

बनाम

झारखण्ड राज्य व अन्य

अगस्त 24, 2004

(जस्टिस अरिजीत पसायत और जस्टिस डी.एम. धर्माधिकारी)

न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971;

धारा 11 व धारा 15-अवमानना क्षेत्राधिकार का दायरा-उच्च न्यायालय के आदेश की गैर अनुपालना.-पीड़ित पक्ष द्वारा अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन दायर करना-.न्यायालय आदेश की सत्यता की जांच करना तथा अवमानना की कार्यवाही करने से इंकार.-माना गया कि जो न्यायालय अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है उस आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता जिसका गैर अनुपालना का आरोप लगाया गया है.-यह आदेश की शुद्धता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता.-अनुच्छेद 215 भारतीय संविधान.-अभ्यास और प्रक्रिया।

उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन में एक एकल न्यायाधीश ने उक्त आदेश की सत्यता की जांच की और माना कि उसमें पारित आदेश नहीं दिये जा सकते। जिस वजह से अवमानना की कार्यवाही की कोई गुंजाईश नहीं है। पीड़ित आवेदक ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील की अनुमति देते हुये प्रकरण को पुनः उच्च न्यायालय को

वापस भेजा गया। अभिनिर्धारित किया गया कि:-

1.1. अवमानना के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि क्या पहले के निर्णय जिसे अंतिम रूप दिया जा चुका है, का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं तथा जिस पक्ष द्वारा कथित रूप से पारित निर्णय या आदेश में दिये गये निर्देशों का पालन करने में चूक की गयी है वह निदानीय है अथवा नहीं। किसी न्यायालय के लिए यह अनुमति नहीं होगी कि वह पूर्व में पारित किसी फैसले जिस पर सवाल नहीं उठाया गया हो, कि सत्यता की जांच करे अथवा उससे अलग दृष्टिकोण अपनाये। जिस आदेश की पालना नहीं करने का आरोप लगाया जाता है, न्यायालय उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। वह आदेश की सत्यता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता और ना ही कोई अतिरिक्त दिशा निर्देश जोड़े जाने अथवा हटाये जाने का आदेश दे सकता है, क्योंकि ऐसा किया जाना अवमानना कार्यवाही के आवेदन पर विचार करते समय समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग होगा जो कि किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। (742 जी.एच; 743.ए.सी; 744.सी.डी)

के.जी. डेरासारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2001) 10 बैब्व् 496 एवं मो. ईकबाल खांडे बनाम अब्दुल माजिद राथर, सस् (1994) बैब्व् 2252, पर भरोसा किया।

टी.आर. धनंजय बनाम जे. वासुदेवन, (1995) 5 बैब 619, से परामर्श लिया गया।

नियाज मोहम्मद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, (1994)

6 बैब्लू 352, को अनुपयुक्त माना गया।

1.2 यदि कोई पक्ष किसी आदेश से व्यथित है जो उसकी राय में गलत अथवा नियम विरुद्ध है या इसका क्रियान्वन ना तो व्यवहारिक है, ना ही संभव है तो उसे हमेशा उस अदालत से संपर्क करना चाहिए जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है अथवा अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करना चाहिए। उसी समय अगर किसी प्रकरण में भले ही अंततः अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया हो या किसी पक्ष को मुख्य कार्यवाही में राहत नहीं दी गयी हो तो उसे न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश की अवज्ञा के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार; सिविल अपील नंबर 5024/2000

पटना उच्च न्यायालय द्वारा एम.जे.सी. नंबर 262/1999 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 07.03.2000 से।

के साथ

I.A. Nos. 10-11/2004

अपीलार्थी की ओर से राजू रामचन्द्रन, जैकी अहमद खान और इरशाद अहमद।

प्रतिवादी की ओर से बी.बी. सिंह।

झारखंड राज्य की ओर से अनिल कुमार झा।

प्रतिवादी की ओर से लक्ष्मी रमण सिंह।

बी.पी.एस.सी. के लिए अनुराग शर्मा और नवीन प्रकाश।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

जस्टिस अरिजीत पसायत;-

याचिकाकर्ता द्वारा एक आवेदन न्यायालय अवमानना अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 11/15 तथा भारतीय संविधान 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 215 के तहत प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का मुख्य आधार पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 1998 की ब्ँश्रब् 1120 में पारित आदेश दिनांकित 30.03.1999 का कथित गैर अनुपालन था।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने के आवेदन पर विचार करते हुये आक्षेपित निर्णय पारित करते हुये कहा कि अवमानना के लिए कार्यवाही किया जाना उचित नहीं होगा। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह देखा गया कि अवमानना कार्यवाही शुरू किये जाने के आवेदन के विचारण के समय सिर्फ विचार का दायरा इसी प्रश्न तक सीमित था कि आदेश का अनुपालन हुआ अथवा नहीं, फिर भी उनके द्वारा आदेश दिनांकित 30.03.1999 कि सत्यता की जांच किये जाने के प्रयोजन से पक्षकारान को यह संतुष्ट करने के लिए बुलाया कि उक्त आदेश में निहित दिशा निर्देशों को जारी किया जा सकता है अथवा नहीं। गहन विश्लेषण के पश्चात उन्होंने माना कि दिशा निर्देश नहीं दिये जा सकते थे इसलिए अवमानना के लिए कोई कार्यवाही करने की

गुंजाईश नहीं थी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवमानना के आवेदन पर विचार करते समय विधि के सही मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा है। संक्षेप में वे एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश पर निर्णय करने हेतु बैठे हैं। अवमानना कार्यवाही में यह जांच किया जाना आवश्यक नहीं है कि जिस आदेश की गेर अनुपालना बाबत आगृह किया जा रहा है वह वैध है अथवा नहीं। यह विचार के दायरे से बाहर है।

जवाब में राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों के संबंध में ऐसा कोई सीधासाधा फार्मूला नहीं है जो कि लागू किया जा सके, अगर आदेश लागू किये जाने हेतु सक्षम नहीं है तो निश्चित रूप से यह अवमानना कार्यवाही पर विचार करने वाले न्यायाधीश के ऊपर है कि उक्त आदेश विधिनुरूप है अथवा नहीं।

अवमानना के आवेदन का विचारण करते समय न्यायालय को वास्तविक तौर पर इस प्रश्न का निर्धारण करना है कि क्या पूर्व में पारित आदेश जिसको अंतिम रूप मिला है, का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं।

यह किसी न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित फैसले जिस पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है, कि सत्यता की जांच किये जाने की तथा उससे अन्य दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति नहीं है। समान आशय का दृष्टिकोण के.जी.

डेरासारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2001) 10 बैब् 496 में भी लिया गया था। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय को मुख्य रूप से उस पक्ष के अपमानजनक आचरण को देखा जाना है जिस पर किसी निर्णय अथवा आदेश में पारित दिशा निर्देशों की पालना करने में चूक का आरोप है। यदि आदेश में कोई अस्पष्टता अथवा अनिश्चितता नहीं है तो उस दशा में यह आदेश संबंधित पक्ष पर निर्भर करता है कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खट खटाये अगर उसके अनुसार कानूनन रूप से मान्य नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न को उच्च न्यायालय के सामने उठाया जाना आवश्यक है। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय मूल निर्णय कर आदेश पारित करने वाले न्यायालय की मूल कार्यवाही पर निर्णय करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। हालांकि बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 3 न्यायाधीशों की पीठ के नियाज मोहम्मद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, (1994) 6 बैब् 352 में पारित फैसले पर मजबूत भरोसा जताया गया है, किन्तु हमारे मत में उक्त निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। उस प्रकरण में आदेश की पालना करवाया जाना असंभव होने पर प्रश्न उठाया गया था। अगर राज्य का यही रूख था तो उनके द्वारा कम से कम उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाना चाहिए था, किन्तु राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष बिल्कुल विपरीत रूख अपनाया है। एक तो यह कि कुछ भी विशेष करने के लिए कोई विशेष

निर्देश नहीं थे और दूसरा यह कि जो करना आवश्यक था वह किया जा चुका था। यदि जो किया जाना था वह कर दिया गया है तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आदेशों को पूरा करना असंभव था। किसी भी स्थिति में उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया गया कि पहले दिये गये निर्देश का पालन करना असंभव था अथवा दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया हो।

दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की असंभवता के प्रश्न पर न्यायिक दृष्टांत टी.आर. धनंजय बनाम जे. वासुदेवन, (1995) 5 ैब् 619 में व्यक्त विचारों पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है जिसमें कि यह माना गया है कि जब दावे का परस्पर निर्णयन हो गया हो और अंतिम रूप प्राप्त कर चुका हो तो यह प्रतिवादी के लिए खुला नहीं है कि वह आदेशों के पीछे जाये और परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमों पर मंडराते हुये कानूनी बहाने को वैध बनाने के लिए न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रभाव को कम कर उसे दरकिनार करे।

न्यायिक दृष्टांत मो. ईकबाल खांडे बनाम अब्दुल माजिद राथर, 1स् (1994) बैब् 2252 में यह पारित किया गया है कि यदि कोई पक्ष आदेश से व्यथित है तो उसे अपीलीय कार्यवाही शुरू करने के लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए तथा अवमानना कार्यवाही शुरू होने के समय कार्यान्वयन की कठिनाईयों के बारे में दलील दी जानी चाहिए।

यदि कोई संबंधित पक्ष किसी आदेश से व्यथित है जो उसकी राय में

गलत है या नियमों के विरुद्ध है या उसके कार्यान्वयन ना तो व्यवहारिक है, ना ही संभव है, तो उसे हमेशा या तो उस न्यायालय से संपर्क करना चाहिए जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया हो अथवा अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करना चाहिए। अवमानना कार्यवाही में आदेश के सही अथवा गलत होने का आग्रह नहीं किया जा सकता है। आदेश सही अथवा गलत हो, उसकी पालना की जानी चाहिए। न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पक्ष अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा। अवमानना के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय उस आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता जिसका अनुपालन ना करने का आरोप लगाया गया हो। दूसरे शब्दों में यह नहीं कहा जा सकता कि क्या नहीं किया जाना चाहिए था या क्या किया जाना चाहिए था। यह आदेश की सत्यता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता या कोई अतिरिक्त निर्देश ना तो पारित कर सकता, ना ही कोई निर्देश हटा सकता, क्योंकि ऐसा किया जाना अवमानना कार्यवाही के आवेदन पर समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने जैसा होगा जो कि किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार मामले को ध्यान में रखते हुये उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है। इस मामले को नये सिरे से विचारण के लिए भेजा जाता है। आवेदन का निपटारा नये सिरे से कानून के अनुसार उचित परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। हम यह स्पष्ट करते है कि हमारे द्वारा अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन की स्वीकार्यता या अन्यथा के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं



की गयी है।

किसी भी प्रकार से भले ही अंततः अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया हो या किसी पक्ष को मुख्य कार्यवाही में राहत नहीं दी गयी हो, दूसरे पक्ष इसे न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश की अवमानना के आधार के रूप में नहीं ले सकता।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात विवाद वर्तमान में झारखंड राज्य से संबंधित है जिसे मूल प्रतिवादी बिहार राज्य से प्रतिस्थापित किया गया है। लागत के संबंध में बिना कोई आदेश पारित किये उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनय कुमार सोलंकी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।